

25.03.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थीया अधिवक्ता अनुपरिथत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। प्रार्थीया अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे है। प्रार्थीया अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थ नही आये। प्रार्थीया अधिवक्ता के उपरिस्थ नही आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/2
सज्जद कपूर
एवं उपाध्यक्ष अधिकारी
मुम्बई

